

दौसा जिले में असंगठित क्षेत्र की कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

लेखक

डॉ. जयराम बैरवा

आचार्य— समाजशास्त्र विभाग
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर (राज.)

सियाराम मीणा

सहायक आचार्य — समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय
दौसा, (राज.)

भूमिका

दौसा जिले के संदर्भ में, भारतीय सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, महिलाओं का समाज में स्थान और कार्यक्षेत्र अधिकतर घरेलू चारदीवारी तक ही सीमित होता है, लेकिन इसके बावजूद, महिलाएं हमेशा से पुरुषों से पीछे रहने का परिचित होती हैं, जब भी उन्हें आवश्यकता होती है। विकसित देशों में, महिलाएं पुरुषों के साथ समानता के अधिकार के साथ काम करती हैं, हालांकि ऐसे विकसित हो रहे देशों के अलावा, भारत जैसे विकासशील देशों में इसमें कई समस्याएं हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण, और महिलाओं के समर्थन की दिशा में हुए प्रगति के साथ, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा हुआ है। उनमें से कई महिलाएं कृषि, पशुपालन, औद्योगिक उत्पादन, और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के रूप में सक्रिय हैं। असंगठित क्षेत्र में, श्रमिक महिलाएं अधिकतर पाई जाती हैं, और उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, महिलाओं के कार्य में अंतर होता है। श्रमिक महिलाएं अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में होती हैं, जहां कार्य दशाएं अनिश्चित होती हैं और श्रम कानून लागू नहीं होता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दौसा जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। साथ ही, असंगठित क्षेत्र भी औद्योगिक क्रियाओं में संलग्न है। यहां की महिलाएं आर्थिक स्थिति में कई समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिसे इस अध्ययन के माध्यम से विश्लेषण किया जा रहा है।

KEYWORDS: महिला श्रमिक, असंगठित क्षेत्र, आर्थिक स्थिति

1. प्रस्तावना

अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से सम्बंधित कार्यों में लगा हुआ है सेवाक्षेत्र कहलाता है, सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल होने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं: परिवहन, कूरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, प्रतिभूतियां, रियल एस्टेट, होटल एवं रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य कल्याण और सामाजिक सहायता तथा कला और मनोरंजन सेवाएं इत्यादि आती हैं। यह क्षेत्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में करीब 60 फीसदी का योगदान देता है। इसे अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

प्रत्येक अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं जो इस प्रकार हैं :- प्राथमिक क्षेत्र जैसे खनन, कृषि और मछली पालन, द्वितीयक क्षेत्र-निर्माण और तृतीयक क्षेत्र-सेवा क्षेत्र।

विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास के ट्रेड का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि जो देश विकास की राह पर आगे बढ़ते हैं उन देशों की अर्थव्यवस्थाएँ कृषि क्षेत्र से हटकर सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं अर्थात् उन देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है और कृषि का घटता जाता है, भारत के सेवा क्षेत्र ने हमेशा से ही देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से सेवा की है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में इसका योगदान लगभग 60 फीसदी तक है। इस संबंध में वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उदारीकरण व विनियमतीकरण करने तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सुधारों की शुरुआत की है। इसमें कोई शक नहीं है कि वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे आकर्षक पूंजी बाजारों में से एक है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, लेकिन क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। प्रौद्योगिकी के आने से उद्योग के विकास में भी सहायता मिली है।

बीमा, पर्यटन, बैंकिंग, खुदरा, शिक्षा, और सामाजिक सेवाएं आदि जैसे सेवाक्षेत्र में अर्थव्यवस्था के नरम हिस्से होते हैं। **नरम-क्षेत्र (सॉफ्ट सेक्टर)** के रोजगार में लोग उत्पादकता, प्रभावशीलता, प्रदर्शन में सुधार क्षमता और स्थिरता बनाने के लिए अपने समय का प्रयोग संपत्ति बनाने, संपत्ति एकत्र करने तथा प्रकिया विनियोजन के लिए करते हैं। सेवा उद्योग में कारोबार के लिए सेवाओं के प्रावधान के साथ-साथ अंतिम उपभोक्ता भी शामिल रहते हैं। सेवाओं को उत्पादक से एक ग्राहक तक पहुंचने में परिवहन, वितरण और माल की बिक्री शामिल हो सकती है जो एक थोक और खुदरा व्यापार के रूप में भी हो सकती है, अथवा पेस्ट कंट्रोल या मनोरंजन के रूप में भी एक सेवा का प्रावधान शामिल हो सकता है।

थोक और खुदरा बिक्री में सेवाएँ एक उपभोक्ता के लिए निर्माता से **परिवहन, वितरण और माल की बिक्री** में शामिल हो सकती है। माल को एक सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में तब्दील किया जा सकता है, जैसे— **रेस्तरां उद्योग** में या उपकरणों की मरम्मत में होता है। हालांकि, **भौतिक वस्तुओं को बदलने की बजाय मुख्य लक्ष्य**, लोगों का एक दूसरे के साथ बातचीत करना तथा ग्राहक की सेवा करना होता है।

वर्तमान अध्ययन के लिए **“दौसा जिले में असंगठित क्षेत्र की कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन”** विषय को चुना गया है। इस विषय के समकक्ष अभी तक कुछ शोध हुये हैं। लेकिन समाज में महिलाओं की जो स्थिति बनी हुई है उसे ध्यान में रखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं **सेवा क्षेत्र** के विशेष संदर्भ में महिलाओं के रोजगार एवं सशक्तिकरण के संबंध में कोई विशेष शोध नहीं हुआ है।

2. साहित्य समीक्षा

कविता जने क्रास्टा और संगीथा श्रीधर (2019) ने अपने शोध पत्र **“प्रॉब्लमस् ऑफ वूमन ऑन्ट्रप्रेन्योर इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट”** में स्पष्ट किया है कि जो कार्य पुरुष कर सकता है महिलाएं उसे बेहतर ढंग से कर सकती हैं। इन्होंने **शिव मोगा जिले** में महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला है। शोधार्थियों के अनुसार **महिला उद्यमियों को पारिवारिक बंदिश, शिक्षा का अभाव, कच्चे माल की कमी, कठोर प्रतिस्पर्धा, जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव, मध्यस्थों द्वारा शोषण इत्यादि** समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके अनुसार सरकार व व्यापारिक बैंकों को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए एवं रियायती दर पर कच्चा माल उपलब्ध करवाना चाहिए।

डॉ. अम्बालाल खटारा (2019) ने अपने शोधपत्र **“कामकाजी महिलाओं की भूमिका संघर्ष के बीच सशक्तिकरण अधिकार : राजस्थान का एक अध्ययन”** में राजस्थान की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं, उनके शैक्षणिक स्तर, आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान इत्यादि पर प्रकाश डाला है। इन्होंने बताया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत — कार्यशील पुरुषों का प्रतिशत 43.6 व कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत 39.8 है जो कि चिंतनीय है जबकि वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ कार्यशील पुरुषों का प्रतिशत 35.1 व कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत 25.5 है, यह स्थिति और भी गंभीर एवं चिंताजनक है। यहां ध्यान दे कि इसके अलावा जो जनसंख्या है वह अकार्यशील जनसंख्या है अतः ऐसे में देख सकते हैं कि अकार्यशील जनसंख्या का

अनुपात तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है विशेषकर महिलाओं में यह अनुपात और भी अधिक है जो कि चिंतन योग्य है। कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने हेतु न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना इत्यादि प्रयास करने चाहिए।

डॉ. नरेन्द्र सिंह (2018) ने अपने शोध पत्र "महिला सशक्तिकरण और नई पीढ़ी" में बताया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं में विकसित पूर्व धारणा को बदलने की आवश्यकता है "कि वे कमजोर हैं और उन्हें कोई भी धोखा दे सकता है। इसकी बजाय उन्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि उनमें पुरुषों से अधिक शक्ति है और वे पुरुषों से अधिक बेहतर कर सकती हैं।"

कै.एम. सीमा (2017) ने अपने शोध पत्र "राजस्थान में महिला एवं आर्थिक सशक्तिकरण" में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इनके अनुसार "महिला आर्थिक सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को स्वयं की एवं पारिवारिक आय खर्च करने की स्वतंत्रता से है। रोजगार से महिलाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जिस प्रकार से महंगाई एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है एवं परिवार बिखर रहे हैं ऐसे में महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण अनिवार्य हो जाता है।"

3. उद्देश्य एवं उपयोगिता

महिला श्रमिकों के शोषण की जिम्मेदारी हमारे समाज की है, और इसे ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दौसा जिले के संदर्भ में महिला श्रमिकाओं की आर्थिक, शारीरिक, और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन महिला श्रमिकों की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं, उनके अधिकारों की जागरूकता, और समाज में उनके स्थान को बढ़ावा देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा, यह अध्ययन महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं की विवेचना करेगा और शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के आर्थिक विकास की मापक होने वाली परिवारों की समीक्षा करेगा। अतः प्रस्तुत शोधपत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. दौसा जिले में कार्यरत महिला श्रमिकों की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करना।
2. श्रमिक महिलाओं पर हो रहे शारीरिक, आर्थिक, और सामाजिक शोषण का अध्ययन करना।

3. महिला श्रमिकों के समाज में स्थान एवं परिवार में स्थान का विश्लेषण करना।
4. महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
5. दौसा जिले में शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लाभान्वित परिवारों के आर्थिक विकास की दर प्राप्त कर, उसकी समीक्षा करना।
6. दौसा जिले में शहरी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए चलाई जा रही वेलफेयर की योजनाओं एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पैदा होने वाले आर्थिक प्रभावों की विवेचना करना।

4. उपकल्पना

चिंतन और जिज्ञासा मानव की दो, मूल प्रवृत्तियां हैं और इसके वैज्ञानिक आधार केन्द्र बिन्दु भी हैं उपकल्पना सामाजिक शोध की प्रथम सीढ़ी है। शोधकार्य प्रारंभ करने के पूर्व शोध के कारणों समस्याओं के सामाधान एवं परिणाम के बारे में हम जो एकनिश्चित रूपरेखा बना लेते हैं उसे उपकल्पना कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में परीक्षण के लिए निम्न उपकल्पनाओं का पालन किया गया है—

1. परिवार में आर्थिक तंगी।
2. अत्यधिक सदस्य होने के कारण मूलभूत सुविधा में जुटाने के कारण।
3. शिक्षा, प्रशिक्षण तथा दिशा—निर्देश की कमी।
4. श्रमिकों के लिये शैक्षणिक योग्यता का न होना।
5. परिवार के पुरुष प्रायः नशे धैनी लत में लिप्त होने के कारण महिलायें श्रमिक हो जाती हैं।

5. अध्ययन का क्षेत्र एवं शोध प्रारूप

दौसा जिला $26^{\circ}22'$ से $27^{\circ}50'$ उत्तरी अक्षांश एवं $76^{\circ}53'$ में $78^{\circ}16'$ तक पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 340467 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक प्रतिशत है। उत्तर में अलवर जिला, पश्चिम में जयपुर, उत्तर पूर्व में भरतपुर एवं पूर्व में करौली—सवाईमाधोपुर तथा दक्षिण में टोंक जिला इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। दिल्ली—जयपुर तथा जयपुर—आगरा रेल लाइन जिले से होकर जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर—11 (आगरा—बीकानेर) जिले के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम

की तरफ जाती है। दौसा जिला मुख्यालय है जो जयपुर से 55 कि.मी. की दूरी पर राजमार्ग 11 पर स्थित है।


गत दशक में काश्तकारों की संख्या में कमी हुई है, जबकि **खेतीहर मजदूर या पारिवारिक उद्योगों** तथा अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिले की सभी तहसीलों में काश्तकारों का प्रतिशत कम हुआ है।

जिले में **खेतीहर मजदूरों** का प्रतिशत **दौसा एवं सिकराय** तहसीलों को छोड़कर सभी तहसीलों में बढ़ा है। जिले में पारिवारिक उद्योगों में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत सभी तहसीलों में बढ़ा है तथा अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत लवाण तहसील को छोड़कर सभी तहसीलों में बढ़ा है।


जिले की कार्यशील **जनसंख्या में 2011** के आँकड़ों के आधार पर 684495 मुख्य श्रमिक, 178281 सीमान्त श्रमिक, 949914 अकार्यशील श्रमिक हैं जो कुल जनसंख्या के क्रमश 41.88 प्रतिशत, 10.91 प्रतिशत, 58.12 प्रतिशत हैं। जिले में सर्वाधिक मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत बसवा तहसील में 42.52 प्रतिशत है तथा सबसे कम लवाण तहसील में है। सीमान्त श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत महुवा तहसील में 12.78 प्रतिशत है तथा सबसे कम रामगढ पचवारा तहसील में 31.01 प्रतिशत है। अकार्यशील श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत महुवा तहसील में 59.32 प्रतिशत है तथा सबसे कम रामगढ पचवारा तहसील में 31.01 प्रतिशत है।

6. तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या


शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सहीअर्थों में तभी प्रभावी होते है, जब शोधार्थी द्वारा उससमस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कियाजाये। इसके लिये यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वाराशोध अध्ययन में उपयोगे किये गये समस्त शोधउपकरण द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रममें सारणीबद्ध किया जाये। शोध द्वारा तथ्यों को प्राप्तकरने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप मेंप्रस्तुत किया गया है और सांख्यिकी विश्लेषण कियागया है—

तालिका 1: महिला श्रमिकों के कार्य				तालिका 1: महिला श्रमिकों के कार्य
क्र.सं.	महिला श्रमिक के कार्य	संख्या	प्रतिशत	
1.	भवन निर्माण	30	60	
2.	सड़क निर्माण	20	40	
	योग-	50	100	


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत महिलायें भवन निर्माण के कार्य में व 40 प्रतिशत महिलायें सड़क निर्माण के कार्य में कार्यरत हैं। ज्यादातर महिलाएँ भवन निर्माण में इसलिये संलग्न रहती हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में मजदूरी ज्यादा मिलती है।

तालिका 2: परिवार का स्वरूप				तालिका 2: परिवार का स्वरूप
क्र.सं.	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत	
1.	संयुक्त	20	40	
2.	एकल	30	60	
	योग-	50	100	


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 40 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है, शेष 60 प्रतिशत महिला श्रमिकों के परिवार एकाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में आकर कार्य करती हैं जिसके कारण एकाकी परिवार ज्यादा पाये गये।

तालिका 3: परिवार में महिला श्रमिकों का स्थान				तालिका 3: परिवार में महिला श्रमिकों का स्थान
क्र.सं.	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत	
1.	उच्च स्थान	15	30	
2.	मध्यम	10	20	
3.	निम्न	25	50	
	योग-	50	100	


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 30 प्रतिशत महिलाश्रमिकों का परिवार में उच्च स्थान है। 20 प्रतिशत महिला श्रमिकों का मध्यम तथा 50 प्रतिशत महिलाश्रमिकों का स्थान परिवार में निम्न है।

तालिका 4: महिला श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति				तालिका 4: महिला श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति
क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत	
1.	विवाहित	20	40	
2.	अविवाहित	15	30	
3.	विधवा	10	20	
4.	परिव्यक्ता	05	10	
	योग-	50	100	


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिलाश्रमिक विवाहित है तथा 30 प्रतिशत अविवाहित है और विधवा महिला श्रमिकों का प्रतिशत 20 है तथा परिव्यक्ता महिला श्रमिकों का प्रतिशत 10 है। अतः स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों में विवाहित महिलाश्रमिकों का प्रतिशत अधिक है।

तालिका 5: परिवार की आर्थिक स्थिति				तालिका 5: परिवार की आर्थिक स्थिति
क्र.सं.	आर्थिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत	
1.	अच्छी	15	30	
2.	खराब	25	50	
3.	सामान्य	10	20	
	योग-	50	100	


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिवारों की आर्थिक स्थिति में 30 प्रतिशत अच्छी, 50 प्रतिशत खराब तथा 20 प्रतिशत सामान्य आर्थिक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं अतः स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिलायें आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण श्रमिक बन गये।

तालिका 6: महिलाओं का समाज में पुरुषों के बराबरी के अधिकार के पक्ष में विचार				तालिका 6: महिलाओं का समाज में पुरुषों के बराबरी के अधिकार के पक्ष में विचार
क्र.सं.	विचार	संख्या	प्रतिशत	
1.	सहमत	25	50	
2.	असहमत	15	30	
3.	कोई वक्तव्य नहीं	10	20	
	योग—	50	100	

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला श्रमिकपुरुषों के बराबरी में अपने आपको खड़ा करना चाहती है, अध्ययन में 50 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी सहमति जताई शेष 50 प्रतिशत में 30 प्रतिशत असहमति जताई और शेष 20 प्रतिशत महिलाओं ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

तालिका 7: श्रमिक महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति				तालिका 7: श्रमिक महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति
क्र.सं.	शैक्षणिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत	
1.	शिक्षित	05	10	
2.	अशिक्षित	45	90	
	योग—	50	100	

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल 10 प्रतिशत महिला श्रमिक ही शिक्षित हैं और 90 प्रतिशत महिला श्रमिक अशिक्षित पाई गई इससे स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों में शिक्षा की स्तर निम्न है।

तालिका 8: कार्य के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण				तालिका 8: कार्य के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण
क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत	
1.	खेतों में	23	45	
2.	सड़क तथा मकान बनाने में	20	40	
3.	खाना बनाने में	2	5	
4.	बर्तन तथा अन्य साफ सफाई में	5	10	
	योग—	50	100	

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि कामकाजीमहिलायें भिन्न-भिन्न कार्य करके अपनी जीविकाअर्जन करती हैं तथा परिवार में आय की वृद्धि करती है। जिसमें से 45 प्रतिशत महिलायें खेतों में कामकरना पसंद करती है। और 40 प्रतिशत महिलायें भवन निर्माण या सड़क के कार्य करती है तथा 5 प्रतिशत महिलायें दूसरो के घर पे खाना बनाती है। और 10 प्रतिशत महिलाये श्रमिक बर्तन तथा अन्यसाफ-सफाई का कार्य करके अपने परिवार कागुजारा करती हैं।

7. निष्कर्ष

औद्योगिक विकास के साथ-साथ, दौसा जिले के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की अध्ययन से पता चलता है कि पूंजीपतियों ने तेजी से आगे बढ़ने के इरादे के साथ स्त्री, पुरुष, और असहाय बच्चों को काम में लगा दिया है। इस अध्ययन में दिखाया गया है कि यह महिलाएं भवन निर्माण, सड़क निर्माण, घरेलू कामकाजी, बीड़ी बनाई, सब्जी-फल बेचने, आदि के क्षेत्रों में रोजगार कर रही है। इनमें से अधिकांश एकल परिवारों से संबंधित हैं, और कुछ महिलाएं शिक्षित हैं, लेकिन परिवारिक और आर्थिक स्थिति निम्न है। इन महिलाओं को अपने परिवारों में सुखद दृष्टिकोण से देखा नहीं जाता है और उन्हें जीवन के लिए अपर्याप्त संसाधनों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके बच्चे भी अधिक रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए समाज को उचित ध्यान और कदमों की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. सक्सेना, एस.सी. (1992), 'श्रम समस्यायें एवं सामाजिक सुरक्षा', रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ।
2. शर्मा, डॉ. एम.के. (2010), 'भारतीय समाज में नारी', पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
3. आहुजा राम (2000), 'सामाजिक समस्यायें', रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
4. गिरि, व्ही.व्ही. (1957) भारतीय मजदूरों की समस्याएँ एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई।
5. सक्सेना, डॉ. आर.सी. (1982) श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड मेरठ।
6. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (1993) भारतीय सामाजिक संस्थायें, आगरा बुक स्टोर, आगरा।
7. बावेल, बसन्ती लाल (1989) भारत की संवैधानिक विधि, सेन्ट्रल ला एजेन्सी, मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद।
8. शर्मा डॉ. ब्रह्मदेव (1986) शिक्षा समाज और व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
9. श्रीवास्तव डॉ. राजमणिलाल (1969) मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रसाद प्रकाशन मंदिर कानपुर।
10. लवानिया, एम.एम. (1989) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
11. गुप्ता मोतीलाल (1973) भारतीय सामाजिक संस्थायें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए-26/2 विद्यालय मार्ग तिलक नगर जयपुर।